

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 10 दिनांक 06/12/2019 मय सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा मौखिक तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम कुमावत ने वकालतनाम पेश किया। पत्रावली चारते बहस नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने "No Instruction" का विवेचन किया। अतः अधिवक्ता निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध चारागाह भूमि में बने हुये पुराने मकानात का पट्टा आबादी भूमि में बताकर दिनांक 06/12/2019 को पट्टा संख्या 10 क्षेत्रफल 133.33 वर्गमज का पट्टा ग्राम पंचायत काचरोदा से जारी करवा लिया। चारागाह की भूमि जो मैमु० आबादी के लगवा भूमि है। शिकायत पर गठित जांच कमेटी द्वारा की गई जांच व तहसीलदार सांभरलेक द्वारा की गई पुष्टि द्वारा उक्त जारी पट्टा चारागाह भूमि में होना पाया। आबादी और चारागाह भूमि की सीमा पर उक्त मकानात होने के कारण आबादी में होना मानकर रिपोर्ट दंगरह पेश की जिसके आधार पर उक्त पट्टा चारागाह भूमि में जारी हो गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू के द्वारा दिनांक 29/7/2021 को विधि विरुद्ध पट्टों को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानीयां प्रस्तुत कर जारी पट्टों को निरस्त कराने की स्वीकृत प्रदान की हैं। विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः संकल्प संख्या 09 दिनांक 05/12/2019 की अनुपालना में पट्टा संख्या 10 दिनांक 06/12/2019 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक की रिपोर्ट 4398 दिनांक 17.06.2021 द्वारा निगरानीधीन पट्टे की जांच कराकर मय मौका रिपोर्ट पंचायत समिति दूदू को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा भूमि चिन्हीकरण/भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण भूमि किस्म का निर्धारण नहीं हो पाने से निगरानीधीन पट्टे की भूमि का किस्म निर्धारण नहीं किया जा सका। चूंकि मौका स्थिति का सही सत्यापन नहीं होने के कारण पट्टे की भूमि की किस्म का निर्धारण नहीं किया जा सका। अतः भूमि किस्म निर्धारण नहीं होने के कारण प्रकरण रिमाण्ड योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर संकल्प संख्या 09 दिनांक 05/12/2019 की अनुपालना में ग्राम पंचायत काचरोदा द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 06/12/2019 को निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि निगरानीधीन पट्टे के संलग्न में रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति को सही सत्यापन कर प्रश्नगत भूमि की किस्म निर्धारण कर तथा नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेवे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली केवल सुभार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तस्तीब दाखिल करार हो।

(कुन्ताल विशनोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर